

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

चि.प्र./चि.प्र./2017/ 86

दिनांक: 8.11.17

आदेश

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग के पत्र क्रमांक: एफ 35 (18) चि. स्वा. (ग्रुप-3)/2017 जयपुर दिनांक 27.10.2017 के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा पत्र संख्या 527/2011 में पारित निर्णय दिनांक 29.1.2016 की आदेश की पालना के संबंध में अध्यक्ष, एकीकृत नर्सिंग एसोसिएशन, निजी अस्पताल, राजस्थान के पत्र दिनांक 18.8.2017 की प्रति मय रिपोर्ट के संबंध में निदेशालय से विभागीय टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखा गया है।

अतः उक्त के संबंध में टिप्पणी हेतु निम्नानुसार अधिकारियों की एक कमेटी का एतद् द्वारा गठन किया जाता है, जो प्रकरण में परीक्षण कर सात दिवस में टिप्पणी मय रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. डॉ. प्रताप सिंह उप निदेशक (प्रशा.) | - | अध्यक्ष |
| 2. एलिसट्रार RNC | - | सदस्य सचिव |
| 3. डॉ. आर.एन. मीना, संयुक्त निदेशक (चि.प्र.) | - | सदस्य |
| 4. श्री हरिचरन मल्होत्रा ADO (नर्सिंग) | - | सदस्य |
| 5. प्रतिनिधि - राज. नर्सिंग यूनिथन एसोसिएशन | - | सदस्य |

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

चि.प्र./चि.प्र./2017/ 86

दिनांक: 8.11.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग।
2. प्रति. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) सेवायें, राज. जयपुर।
3. कामस्त जॉब अधिकारीगण
4. प्रतिलिपि-राजस्थान नर्सिंग यूनिथन एसोसिएशन के द्वारा उप निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय।
5. भारी सर्वर रूम, मुख्यालय को ईमेल करने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
6. आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर